


दिनांक 26.03.2014

नौवहन महानिदेशालय		
प्रशिक्षण अनुभाग		आई.एस / आई.एस ओ खण्ड संख्या.7.1
संदर्भ: क्यू.एम.एस: ई.ए.सी. क्यू.पी-07-1 पृष्ठ संख्या 1	विषय:- नौवहन महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित परिसर में मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों का आयोजन	फाइल संख्या टीआर / पी ओ एल / 8(4)/2013 प्रशिक्षण अनुभाग
नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	वर्ष 2013 के दिनांक 20.03.2014 के प्रशिक्षण परिपत्र सं0 23 का शुद्धिपत्र	दिनांक 24 जनवरी,2014

वर्ष 2013 के दिनांक 20.12.2013 के प्रशिक्षण परिपत्र सं0 23 के अनुक्रम में, उक्त परिपत्र में संलग्न किए गए अनुलग्नक-1 के पैरा-3 को यह पढा जाए,

2. "यह नौवहन महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अध्यापन हेतु शिक्षा-संकाय (विभाग) नौवहन महानिदेशक द्वारा गैर अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अधिमानतः स्वतंत्र होंगे तथा 2013 के नौवहन महानिदेशालय आदेश सं0 05 के अनुसार मानकों का उक्त के संदर्भ में अनुपालन किया जाएगा। हालांकि, ऐसे शिक्षा संकाय (विभाग) जो नौवहन महानिदेशक, द्वारा गैर अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अध्यापन से भी यदि जुड़े हैं, तो एक सप्ताह में नौवहन महानिदेशक, द्वारा अनुमोदित तथा नौवहन महानिदेशक, द्वारा गैर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में एक साथ रखे गए अध्यापन की अधिकतम विनिर्दिष्ट सीमा 18 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

3. यह यथासंशोधित, वाणिज्य पोत-परिवहन ( समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानक) नियम, 1998 के नियम 47 के अध्याय IX में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
( आशा मोहम्मद )

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

प्रती:

1. सभी समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान
2. कुलपती, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, ईस्ट कास्ट रोड, उथंडी चैन्नई-600119
3. सभी शैक्षणिक परिषद (कोलकाता / कांडला / मुंबई / चैन्नई / कोची/)
4. सभी समुद्रीय वाणिज्य विभाग
5. नाविक पाल, मुंबई/ कोलकाता /चैन्नई
6. निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, मुंबई / चैन्नई /कोलकाता
7. मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार
8. नोटिकल सलाहकार, भारत सरकार
9. ईन्सा / मासा / फोस्मा
10. ईन्डो सेल , नव भवन बिल्डींग, मुंबई-1
- 11.कृ अनुभाग
- 12..प्रबंधन प्रतिनिधि ईएसी अनुभाग (क्यूएमएस मैनुअल)नौ.म.नि.
13. कम्प्यूटर कक्ष
14. हिन्दी अनुभाग को अनुवाद हेतु
15. ई गर्हनेर सेल
16. नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव को सूचनार्थ